न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 23/2019,

RCMS Case No. 2019/ 00057

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बिन्दु शर्मा पुत्री स्व0 नरहरि प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वीर दुर्गादास नगर, मारवाड़ जंक्शन 2. श्रीमती किरण कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हॉस्पिटल रोड़, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द जाति सरगरा निवासी मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी : 24/2019,

RCMS Case No. 2019/ 00058

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बिन्दु शर्मा पुत्री स्व0 नरहरि प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वीर दुर्गादास नगर, मारवाड़ जंक्शन 2. श्रीमती किरण कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हॉस्पिटल रोड़, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन 2. गोविन्दराम पुत्र भानाराम जाति हीरागर निवासी मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी : 25/2019,

RCMS Case No. 2019/ 00059

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बिन्दु शर्मा पुत्री स्व0 नरहरि प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वीर दुर्गादास नगर, मारवाड़ जंक्शन 2. श्रीमती किरण कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हॉस्पिटल रोड़, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन 2. मूलाराम पुत्र नेनाराम जाति ढोली के का0मु0 2.1 अनु पत्नी मूलाराम जाति दमामी 2.2 दिलीप पुत्र मूलाराम जाति दमामी निवासीगण वीर दुर्गादास नगर, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

अति. जिला कलेक्टर, पाली

श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री सुरेन्द्र शर्मा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांक : 26/7/2019

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने पृथक पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 75/2000—01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र ताराचंद जाति सरगरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1945 तथा मिसल संख्या 81/2000—01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी गोविन्दराम पुत्र भानाराम जाति हीरागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1947 एवं मिसल संख्या 110/2000—01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मूलाराम पुत्र नेनाराम जाति ढोली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1949 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण ने निवेदन किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पर पूर्व में पट्टा संख्या 27 दिनांक 03.12.1970 को मेघराज, भंवरलाल, बाबुलाल, सम्पतराज पि0 रायचन्द के नाम जारी हो चुका है। उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा पट्टाधारक एवं उनके वारिशान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की जा चुकी हैं। इसी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को पृथक पृथक रूप से मिसल कायम करते हुए पृथक पृथक पट्टे जारी किए गए हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। चूंकि उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, जो अस्तित्व में रहते ग्राम पंचायत को उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थीगण के नाम से पृथक पृथक रूप से पट्टे जारी किए है, जो खारिज़ योग्य हैं। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने भी प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी होने के सम्बन्ध में उन्हे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इस भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है, जो अस्तित्व में हैं। अतः पश्चातवर्ती रूप से अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टों को अपास्त किया जाता है, तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हालांकि प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के तथ्यों की ताईद करते हुए निगरानी स्वीकार कराने एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टो को अपास्त कराने का निवेदन किया हैं। इसके बावजूद भी प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों का दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अवलोकन किया जाता है, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि ग्राम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मारवाड़ जंक्शन के वीर दुर्गादास नगर में भूखण्ड संख्या 413, 319, 320 व 323 का संयुक्त रूप से मिसल संख्या 363/1967–1969 कायम करते हुए पट्टा संख्या 27 दिनांक 03.12.1970 को मेघराज, भंवरलाल, बाबुलाल, सम्पतराज पि0 रायचन्द के नाम संयुक्त रूप से जारी किया गया। उक्त भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 413 मेघराज के हिस्से में रहा तथा शेष भूखण्ड भंवरलाल, बाबुलाल व सम्पतराज के हिस्से में रहे, जिन्हे भंवरलाल के वारिशान एवं बाबुलाल, सम्पतराज द्वारा पृथक पृथक पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बेचान किया। इसी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रक्रिया अपनाते हुए पृथक पृथक मिसल कायम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम पृथक पृथक पट्टे जारी किए, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते ग्राम पंचायत को उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे विधि विरूद्ध होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 75/2000–01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र ताराचंद जाति सरगरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1945 तथा मिसल संख्या 81/2000–01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी गोविन्दराम पुत्र भानाराम जाति हीरागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1947 एवं मिसल संख्या 110/2000–01 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 06.08.2001 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मूलाराम पुत्र नेनाराम जाति ढोली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1949 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय पृथक पृथक रूप से तीनों पत्रावलियों के संलग्न किया जावे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26/7/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली